

विचार बिन्दु

बच्चों को शिक्षा के साथ यह भी सिखाया जाना चाहिए कि वह मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं, संपूर्ण राष्ट्र की थाती हैं। —स्वामी रामदेव

मोबाइल से बढ़ता मानसिक बीमारियों का खतरा

आज के दौर में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल और ध्यान भटकाने वाले बनते जा रहे हैं। एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था सेपियनलैब्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं तो युवावस्था आते-आते उनके दिमाग पर विपरीत असर दिखने लगता है। यह रिपोर्ट 40 देशों के 2,76,969 युवाओं से बातचीत करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन दिए गए, उनमें आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति गुस्सा, सच्चाई से दूर रहना और हेलोसिनेशन होना शामिल है। लीलावती अस्पताल, मुंबई के मनोचिकित्सक डॉ. शोरुक मोटवानी बताते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम, ट्रॉमा और हिंसा देखने से बच्चों में आक्रामकता, डिप्रेशन और चिंता विकार बढ़ रहे हैं। वहीं, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. समीरा एस राव का कहना है कि स्क्रीन टाइम अधिक होने से बच्चों का मूडस्विंग्स, सिरदर्द और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

भारत में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के बेज़ा इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग अब जोर शोर से उठने लगी है। भारत सरकार ने भी देर आये दुरस्त आये अब सोशल मीडिया के बेज़ा इस्तेमाल से बच्चों को बचाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आर्थिक सर्वे में इस पर भारी चिंता व्यक्त की गई थी। इसका अनुसरण करते हुए सरकार न्यूनत आयु तय करने का विचार कर रही है। आंकड़ों को देखे तो देश में 14-16 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चे इस समय स्मार्ट फोन के समुद्र में डूबे हुए है। यह एक गंभीरतम स्थिति है।

आज घर घर में बच्चे और युवा धड़ल्ले से मोबाइल पर स्क्रीनिंग कर रहे है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है की यह उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए कितना खतरनाक है। मीडिया में छोटे और किशोर आयु के बच्चों को मोबाइल लत के खतरे से लगातार अगाह किया जा रहा है। अनेक बच्चे इसके दुष्परिणामों के शिकार होकर अस्पतालों में अक्सर का इलाज करा रहे हैं। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने देश में गत वर्ष मोबाइल पर 1.12 ट्रिलियन घंटे स्क्रीनिंग की गई जो दुनियाभर में सर्वाधिक आंकी गई है। इससे पता चलता है 18 वर्ष की आयु सीमा के 40 करोड़ बच्चे में से हर तीसरा बच्चा

एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था सेपियनलैब्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाते हैं तो युवावस्था आते-आते उनके दिमाग पर विपरीत असर दिखने लगता है। यह रिपोर्ट 40 देशों के 2,76,969 युवाओं से बातचीत करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन दिए गए, उनमें आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति गुस्सा, सच्चाई से दूर रहना और हेलोसिनेशन होना शामिल है।

से बच्चों के मार्क्स में 10 फीसदी तक कमी आई है। एक अन्य रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 73 प्रतिशत स्कूली बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं। वहीं, 80 प्रतिशत बच्चे रोजाना सोशल मीडिया पर कम से कम 2 घंटे बिताते हैं। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर पड़ रहा है। मोबाइल आपका दोस्त है या दुश्मन। बिना विलंब किए इस पर गहनता से मंथन की जरूरत है। आजकल मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। एक स्टडी रिपोर्ट में एक बार फिर मोबाइल के खतरे से सावधान किया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है पैरेंट्स बिना सोचे-समझे सिर्फ दो-ढाई साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। इसके बाद बिना मोबाइल यूज किए बच्चा खाना तक नहीं खाता है। हालांकि इंफॉर्मेशन, टेक्नोलोजी और एआई के दौर में मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? अगर आप भी मोबाइल एडिक्शन को सौरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आपको बता दें कि सेलफोन आपके बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। कच्ची उम्र में बच्चों को डिजिटल डिमेंशिया जैसी घातक बीमारी हो सकती है। टाइम ज्यादा होने का सबसे पहला असर बच्चों की आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। स्क्रीन को नजदीक और एक्टक देखने से आंखें ड्राई होने लगती हैं यही हालात रहने पर आंखों की रोशनी कम होने लगती है। मोबाइल बच्चों का दोस्त है या दुश्मन। बिना विलंब किए अभिभावकों को इस पर गहनता से मंथन की जरूरत है।

जब से इंटरनेट हमारे जीवन में आया है तबसे बच्चे से बुजुर्ग तक आभासी दुनिया में खो गए हैं। हम यहाँ बचपन की बात करना चाहते है। देखा जाता है पांच साल का बच्चा भी आँख खोलते ही मोबाइल पर लपकता है। पहले बड़े इसे अपने काम के लिए करते थे। अब बच्चे भी इंटरनेट के शौकीन होते जा रहे हैं। बाजार ने उनके लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वह पढ़ने के अलावा बहुत कुछ इंटरनेट पर करते रहे हैं। पैरेंट्स को बच्चों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और समय रहते उनकी ऐसी आदत को पॉजिटव तरीके से दूर करना चाहिए।

—अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शनिवार 21 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, रेवती नक्षत्र सायं 7:07 तक, शुभ योग दिन 3:51 तक, चिष्टि करण दिन 1:01 तक, चन्द्रमा आज सायं 7:07 से मेष राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज रवियोग सायं 7:07 तक है। भद्रा दिन 1:01 तक रहेगी। आज विनायक चतुर्थी है। पंचक सायं 7:07 पर समाप्त होंगे। आज महापात योग

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:27 से 9:52 तक, चर 12:41 से 2:05 तक, लाभ-अमृत 2:05 से 4:54 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 7:03, सूर्यास्त 6:18



मेघ

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक बृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अंगण कार्यों में खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।



सिंह

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ रहेगा। परिवार में शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।



धनु

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।



वृष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।



कन्या

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।



मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।



तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। नैकीरपेक्षा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।



कुंभ

अपने अति आवश्यक कार्यों में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। प्रयास करें। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



वृश्चिक

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मीन

व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही परेशानियों दूर होने लगेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



महावीर सिंह

बहुत से लोगों को 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुई विभत्स घटना याद होगी। दिल्ली में आम लोगों ने, मीडिया ने, विभिन्न नागरिक-युवा संगठनों ने इतने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया कि परिणाम स्वरूप उस लड़की को बढिया से बढिया इलाज उपलब्ध करवाया गया। त्वरित गति से मुक्तदम्मा दर्ज हुआ, शीघ्रता व सावधानी पूर्वक मुक्कमल जांच पूरी हुई और दोषियों को सख्त सजा मिली।

इस घटना ने, अपवादस्वरूप ही सही दिल्ली के सत्तासीनों के जमीर को भी हिला कर रख दिया। परिणाम स्वरूप जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में इस घटना के परिपेक्ष में महिला के साथ होने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे, इसलिए कानूनों का पुनरावलोकन भी करवाया, सुझाव मंगवाए और परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ आपराधिक छेड़छाड़ दुर्व्यवहार से सम्बंधीत कानूनों पर नए दृष्टिकोणों से विचार व परिवर्तन शुरू हुए। मुख्य बात यह है कि ड्रेगलित जनमानस के दबाव के चलते यह सब सम्भव हुआ।

इस घटना के विपरीत, महिला पहलवानों के साथ हुई सेक्सुअल हैरसमेंट की घटना के जो आरोप लगाए गए उन पर विचार करें।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ओरोविल, संविधान और राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020



सूर्यप्रतापसिंह राजावत

21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस तारीख के पीछे एक इतिहास है। ऐतिहासिक महत्व यह है कि बांग्लादेश धर्म के आधार पर बनाया गया था, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने उर्दू को भाषा के तौर पर थोपने का विरोध किया। उन्होंने बंगाली भाषा की मांग की और आखिरकार बंगाली को उस देश की दूसरी राष्ट्र भाषा बनाने में जीत हासिल कर ली। इस संघर्ष के दौरान बंगालियों ने दर्जनों लोगों को खो दिया। यूनाइटेड नेशंस ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है, ताकि बांग्लादेशियों के अपनी मातृभाषा के लिए किए गए बलिदान को याद किया जा सके। इसे 1999 के यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में मंजूरी दी गई थी और 2000

से यह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 21 फरवरी श्री अरविन्द की आध्यात्मिक सभ्योगी, श्रीमों के जन्मदिन की भी याद दिलाता है। उनके सपनों के प्रोजेक्ट की ओरोविल-उपानगरिके रूप में जाना जाता है। ओरोविल को 1966, 1968, 1970, 1983, 2007 में यूनेस्को के आम सम्मेलन का समर्थन प्राप्त हुआ है। ओरोविल को अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में भी जाना जाता है जहाँ 30 से अधिक देशों के लोग एक साथ रहते हैं। ओरोविल के निवासी अतिमानसिक योग का अभ्यास करते हैं। अतिमानसिक योग रूपतरण से संबंधित है। श्रीअरविन्द के अनुसार मानव विकासवादी प्रक्रिया में संक्रमणकालीन चरण से संबंधित है। मनुष्य अंतिम रचना नहीं है, मनुष्य के बाद सुपरमैटल शक्ति का आविर्भाव होगा। श्री मॉ के निम्नलिखित शब्द ओरोविले के उद्देश्य और लक्ष्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं - हम किसी पंथ, किसी धर्म की खिलफ नहीं लड़ते हैं। हम किसी भी सकारा के खिलाफ नहीं लड़ते हम बँटवारे, बेहोशी, अज्ञानता, जड़ता और झुट से लड़ रहे हैं। हम धरती पर एकता, ज्ञान, चेतना, सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन सभी चीजों से लड़ते हैं जो प्रकाश, शांति, सत्य और प्रेम की इस नई रचना के आने का विरोध करती

है। ओरोविल अपनी एक खास बात के लिए भी जाना जाता है कि यहां लोगों के बीच पैसे का लेन-देन नहीं होता। 28 फरवरी, 1968 को, ओरोविल के चार्टर को फ्रेंच में पढ़ा गया। इसके बाद, चार्टर को 16 भाषाओं में इस क्रम में पढ़ा गया: तमिल, संस्कृत, इंग्लिश, अरबी, चीनी, रशियन, स्पैनिश, स्वीडिश और तिब्बती। भारत के संविधान का पार्ट सात ऑफिशियल भाषा से जुड़ा है, जिसे चैप्टर एक में बांटा गया है, जो यूनियन-संघ की भाषा से जुा है। चैप्टर दो क्षेत्रीय-रीजनल भाषाओं से जुड़ा है। चैप्टर तीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह की भाषा से जुड़ा है। चैप्टर चार भाषा से जुड़े खास निर्देशों से जुड़ा है। भारत के संविधान के शेड्यूल आठ में 22 भाषाओं की लिस्ट है जो मल्टीलिंगुअलिज्म दिखाती है। यह जानना दिलचस्प है कि खासवत संशोधन अनुच्छेद 350ए प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा देता है।यह बताया जरूरी है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आर्टिकल 351 के तहत एक खास निर्देश है कि जहाँ भी वॉकेबुलरी के लिए जरूरी जा जरूरी हो, उसे संस्कृत से लिया जाना चाहिए। दुनिया भर में हुई साइटिफिक स्टडीज से पता चला है कि बच्चे के विकास में मातृभाषा बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। इसलिए, इस खास पहलू को

बाद में संविधान सभा ने सराहा और यही बात भारत के संविधान में भी दिखाई देती है, यहाँ तक कि मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (एनइपी 2020) भी इसी का सपोर्ट करती है। एनइपी 2020 इस बात पर चिंता जताती है कि भारतीय भाषाओं पर सही ध्यान और देखभाल नहीं दी गई है, अकेले पिछले 50 सालों में देश ने 220 से ज्यादा भाषाएँ खो दी हैं। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को खतरे में घोषित किया है। कई बिना लिखी हुई भाषाएँ खस तौर पर खत्म होने के खतरे में हैं। जब ऐसी भाषाएँ बोलने वाले किसी कबीले या समुदाय के बड़े सदस्य गुजर जाते हैं, तो ये भाषाएँ अक्सर उनके साथ खत्म हो जाती हैं। इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति के भावों को बचाने या रिकॉर्ड करने के लिए कई ठोस कदम या उपाय नहीं किए जाते हैं। एनइपी 2020 में कहा गया है कि भारत की वे भाषाएँ भी जो ऑफिशियली ऐसी खतरे वाली लिस्ट में नहीं हैं, जैसे कि भारत के संविधान के आठवें शेड्यूल की 22 भाषाएँ, कई मोर्चों पर गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं को पढ़ाने और सीखने को हर लेवल पर स्कूल और हायर एजुकेशन के साथ जोड़ने की जरूरत है। भाषाओं को रेलिवेंट और वाइरेंट बनाए रखने के लिए, इन भाषाओं में टेक्स्टबुक,

वर्कबुक, वीडियो, नाटक, कविताएँ, नॉवेल, मैगजीन वगैरह सहित हाई-क्वालिटी लर्निंग और प्रिंट मटीरियल की एक रेगुलर स्ट्रीम होनी चाहिए। भाषाओं की वॉकेबुलरी और डिक्शनरी में भी लगातार ऑफिशियल अपडेट होने चाहिए, जो बड़े पैमाने पर फैले, ताकि इन भाषाओं में सबसे नए मुद्दों और कॉन्सेप्ट पर असरदार तरीके से चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देश इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियन और जापानी जैसी भाषाओं के लिए ऐसे लर्निंग मटीरियल, प्रिंट मटीरियल और दुनिया की भाषाओं से जरूरी मटीरियल का ट्रांसलेशन, और वॉकेबुलरी को लगातार अपडेट करने का काम कर रहे हैं। हालाँकि, भारत अपनी भाषाओं की पूरी ईमानदारी के साथ सबसे अच्छे तरीके से वाइब्रेंट और कंटेंट रखने में मदद करने के लिए ऐसे लर्निंग और प्रिंट मटीरियल और डिक्शनरी बनाने में काफी धीमा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन-भाषा फ़ॉर्मूले को जल्दी लागू करने, जहाँ तक हो सके घर/लोकल भाषा में पढ़ाने, और ज्यादा एक्सपीरियेंशियल भाषा सीखने का इंतजाम किया गया है।

—सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
सचिव, श्री अरविन्द
सोसाइटी राजस्थान

विश्व मातृभाषा दिवस-2026

समृद्ध और समर्थ राजस्थानी भाषा को कब मिलेगा मान्यता का सम्मान



राजेन्द्र जोशी

विश्व मातृभाषा दिवस मतलब की मातृभाषाओं को पल्लवित और पोषित करने का समय माना जाता है। इस दिन विश्वभर की मातृ भाषाओं के ही हिमायती अपनी-अपनी मातृभाषा को समर्थ साबक करने का प्रयास करते हैं। सभी मातृभाषाएं सांस्कृतिक महत्व और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भाषाओं को पोषित करने का काम संबंधित सरकार का रहता है। हम राजस्थानी समुदाय के लोग राजस्थानी भाषा को जीते हैं और संकल्पित होकर भाषाई दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं। भाषा व्यक्ति की पहचान होती है।

भाषा और संस्कृति व्यक्ति को बनाने का काम करती है। और यह भी सत्य है कि बड़ी भाषाओं की बोलियाँ भी अधिक होती है,यह भाषा की खूबसूरती है कि राजस्थानी भाषा की बोलियाँ की संख्या भी कम नहीं है। हिंदुस्तान में प्रत्येक प्रदेश की अपनी भाषा है और लगभग वह भाषा प्रदेश तक सीमित है लेकिन राजस्थानी भाषा ऐसी भाषा है जो दुनिया भर में अपना मुकाम बनाए हुए है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती। हम जानते हैं कि दुनिया भर में अपना व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से फैले हुए मारवाडी राजस्थानी ही बोलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 12 करोड़ लोगों के बोलचाल की भाषा राजस्थानी भाषा है।

विश्व मातृभाषा दिवस जब दुनिया भर के लोग बड़ी खुशी हंसी-खुशी से मना रहे हैं और भाषा का मान बढ़ाते हैं। परंतु राजस्थानी भाषा के लोग यह दिवस उदासी भरे माहौल में आटाह मान मनवाए और विरोध स्वरूप बनाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है की राजस्थानी भाषा को आज भी आजादी के साठे सात दशक बाद भी केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं कर पाई है।

राजस्थानी भाषा समृद्ध भाषा है, इसका विपुल साहित्य भंडार है, यह करोड़ों लोगों की कंठहार है,विश्वकवि(वैदर्भ्याथ टैगोर महामान मदनमोहन मालवीय, इतालवी विद्वान डा.एल.पी. टैस्तीटोरी, सुप्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. सुनीति कुमार चाट्वां सहित विश्व के ख्यातमान विद्वानों ने राजस्थानी भाषा एवं इसके समुन्नत समृद्ध साहित्य की प्रशंसा की है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता हेतु राजस्थान विधान सभा में लिएएग सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव वर्ष 2003 में केंद्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है किन्तु अब तक राजस्थानी भाषा अपनी संवैधानिक मान्यता हेतु प्रतीक्षारत है।

राजस्थानी भाषा को 8 वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से सम्पूर्ण राजस्थानियों द्वारा प्रदेश व प्रवास से जोर-शोर से उठाई जाती रही है। जनगणना 2011 में भी राजस्थान के 4 करोड़ 83 लाख लोगों ने अपनी मातृ भाषा राजस्थानी दर्ज कराई है। प्रवासी राजस्थानियों की संख्या भी कम नहीं है। घूमर लोकनृत्य को दुनिया के टॉप 10 स्थान मिलना, कालबेलिया नृत्य को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया जाना, प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे में विदेशी कलाकारों ने भी राजस्थानी लोक गीत की प्रस्तुती, अमेरिका की लाईब्रेरी

ऑफ कांग्रेस द्वारा राजस्थानी दुनिया की तेरह समृद्धतम भाषाओं में शुमार किया जाना, अमेरिका की शिकागो, रूस की मुस्को, लंदन की कैब्रिज के समान श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में राजस्थानी का अध्ययन-अध्यापन, अमेरिका सरकार की नौकरियों के लिए राजस्थानी को मान्यता दिए जाने सहित कई ऐसे प्रमाण हैं जो राजस्थानी को समृद्ध और बड़े समुदाय की भाषा ठहराते हैं।

विश्व मातृभाषा दिवस पर हम निम्नप्र अग्रुधर करते है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता हेतु केन्द्र सरकार शीघ्र निर्णय ले कर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाए। मुक्ति संस्था,बीकानेर द्वारा एक दशक पहले नवंबर 2016 में प्रारंभ की गई राजस्थानी भाषा मान्यता संकल्प यात्रा के दौरान यह तथ्य भी सामने आए जब बंगाल, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में भाषा मान्यता संकल्प यात्रा लोगों से खूबक हुई। हजारों लोगों ने गत एक दशक के राजस्थानी भाषा मान्यता के पक्ष में हस्ताक्षर कर समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से इस भाषा को मान्यता देने की मांग रखी। मुक्ति संस्था बीकानेर द्वारा भाषा मान्यता आंदोलन सतत रूप से जारी है। राजस्थान-राजस्थानियों की विश्वास है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की

आठवीं अनुसूची में शामिल करने का पुनित एवं ऐतिहासिक काम केन्द्र सरकार करेगी। राजस्थानी भाषा की मान्यता का आंदोलन 1944 में दीनापुर सम्मेलन से प्रारंभ हुआ था। राजस्थानी भाषा को मान्यता का आश्वासन सरकारों द्वारा दिया तो जाता रहा है लेकिन मान्यता देने में सरकार सदैव पीछे रही है। राजस्थानी भाषा 1200 वर्षों से पुरानी है और इस भाषा का विशाल शब्दकोश जो अन्य भाषाओं से भी बहुत बड़ा है। इस शब्दकोश में लगभग दो लाख बड़े हजार शब्द विद्यमान हैं। जबकि छोटी भाषाओं को सरकार ने मान्यता दे रखी है। राजस्थानी भाषा को राजनैतिक कारण से मानता नहीं देना यह हजारों राजस्थानियों का अपमान है। भारत सरकार ही ऐसा करने में सक्षम है। इस ऐतिहासिक काम के लिए संपूर्ण राजस्थान और राजस्थानी समाज चिकला आभारी रहेगा और इस फैसले से माननीय सर्वत्र सरहना के भागीदार होंगे। विश्व मातृभाषा दिवस हमें हमारी भाषा के प्रति सम्मान सम्मान के संकल्प को याद दिलाता है। हम इस अवसर पर राजस्थान सरकार से भी आग्रह करते हैं की राजस्थानी भाषा को दूसरी राजभाषा बनाने की घोषणा करें।

—राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद्-साहित्यकार